

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,

(भू-अर्जन निदेशालय)

पत्र सं0- 14/डी.एल.ए.-1860/रा0/पटना, दिनांक-...19-07-13

वापसी अधिसूचना

लखीसराय जिलान्तर्गत कजरा थर्मल पावर परियोजना के निर्माणार्थ /स्थापनार्थ मौजा- वरियारपुर थाना नं0- 80 अंचल- सूर्यगढ़ा में रकवा 196.00 एकड़ भूमि अर्जन हेतु अधिनियम की धारा 4/6 के तहत अधिसूचना संख्या- 14/डी.एल.ए./लखी0, (टी.पी.पी.) 28/11- 1213/रा0, दिनांक- 01.07.2011 तथा अधिघोषण संख्या - 14/डी.एल.ए./लखी0 (टी.पी.पी.) - 28/11- 1234/रा0, दिनांक- 04.07.2011 द्वारा निर्गत एवं संसूचित किया गया था।

उक्त अर्जित/अधिग्रहित भूमि में से खेसरा सं0- 1102, 1103, 1187, 1188, 1255, 1258, 1259, 1261, 1262, 1264, कुल रकवा- 2.54 एकड़ सरकारी (डकरा नाला हेतु पम्प नहर, प्रमंडल सूर्यगढ़ा शिविर, मुंगेर) भूमि पाये जाने के कारण भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48(1) के तहत अर्जन से विमुक्त किया जाता है। शेष रकवा 193.46 एकड़ यथावत रहेगा।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
लखीसराय।

समाहर्ता,
लखीसराय।

सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापक-1860/रा0 भू-अर्जन दिनांक-...19-07-13

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, बिहार-पटना को सी0डी0 सहित एवं तीन प्रारूप दो दैनिक समाचार पत्र जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ प्रेषित। प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, लखीसराय को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाय।

प्रतिलिपि :- उप-समाहर्ता, प्रभारी सामान्य शाखा, समाहरणालय, लखीसराय को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। प्रकाशित गजट की पाँच प्रतियाँ जिला भू-अर्जन कार्यालय, लखीसराय को उपलब्ध करायी जाय।

प्रतिलिपि :- आपुत्र, मुंगेर उच्च न्यायालय मुंगेर के सूचनाधिकारी को प्रेषित।

प्रतिलिपि :- समाहर्ता, लखीसराय, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
लखीसराय।

समाहर्ता,
लखीसराय।

सरकार के अवर सचिव,